न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—297/2017/223 (2017/00297)

1. गोरधन पुत्र लखदेव, जाति जाट, निवासी ग्राम रामनेर ढाणी, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. मनोहर पुत्र लखदेव,
2. श्योचन्द पुत्र लखदेव,
3. हीरालाल पुत्र लखदेव,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम रामनेर ढाणी, तहसील व जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर दिनांक 27.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 30/2012.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री एन0के0जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 4.

निर्णय

दिनांकः— 29.7.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के संयुक्त सदस्य है एवं अपनी कयशुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 1377 रकबा 14—13—00, खसरा नंबर 2628 रकबा 4—5—00, खसरा नंबर 2631 रकबा 5—17—00, 2633 रकबा 5—7—00, एवं 1428 रकबा 4—11—00 कुल किता 5 कुल रकबा 34—13—10 को संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है । उपरोक्त आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3

का 3/4 हिस्सा निहित है । उक्त आराजी का आज दिवस तक कोई विधिक बंटवारा नहीं हुआ है । प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा आये दिन झगड़ा फसाद होता है । प्रतिवादीगण बिना विधिक विभाजन के आराजियात को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है । अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य वाद में दर्शाये अनुसार विधिक विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.2017 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद राजीनामे के आधार पर डिक्री किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने राजस्व कैम्प रामनेर ढाणी में उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर राजीनामे अनुसार वर्किंग खसरा नंबर 2628 जिसके नये खसरा नंबर 1611, वर्किंग खसरा नंबर 2631 जिसके नये खसरा नंबर 1608, वर्किंग खसरा नंबर 2633 जिसके नये खसरा नंबर 1607 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के 1/4, 1/4 हिस्से में रहेंगे व वर्किंग खसरा नंबर 1428 जिसके नवीन खसरा नंबर 2190 रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में रहेंगे व वर्किंग खसरा नंबर 1377 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नंबर 1944, 1961, 1962 अपीलांट/वादी के हिस्से में, 5 बीघा 2 बिस्वा, रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 1 मनोहर के हिस्से में 4 बीघा 11 बिस्वा व रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 3 हीरालाल के हिस्से में 4 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी रखने बाबत् राजीनामा हुआ था किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त राजीनामे अनुसार निर्णय पारित नहीं कर सभी खसरा नंबर में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/4, 1/3 हिस्सा अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में राजीनामे के अनुसार वादी का वाद स्वीकार करने का अंकन करते हुए निर्णय व डिक्री में सभी खसरा नंबरान में वादी व प्रतिवादीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा की प्राथमिक डिक्री पारित की है जो राजीनामे के विपरीत है । अधी0न्याया0 को राजीनामे के अनुसार ही डिक्री पारित करनी चाहिये थी । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किये गये राजीनामे अनुसार पक्षकार को हिस्सा प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकारान ने राजीनामा पेश कर दिया था व उसी अनुसार निर्णय हेतु अनुसार निर्णय हेतु आपस में सहमत थे किन्तु अधी0न्याया0 ने राजीनामे से बाहर जाकर निर्णय पारित कर दिया जिसकी जानकारी होने पर अधिवक्ता से संपर्क कर अधी0न्याया0 द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.6.2017 में राजीनामे अनुसार निर्णय हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व 152 जा0दी0 पेश करवाया जिसे अधी0न्याया0 ने दिनांक 24.7.2017 को खारिज कर दिया । प्रार्थना पत्र खारिज होने पर अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 151 व 52 के निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश करवाया जिस पर दिनांक 25.9.2017 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई । तत्पश्चात् गांव जाकर फीस व खर्चे की व्यवस्था कर वापिस अजमेर आकर अधिवक्ता से संपर्क कर बिना विलंब के जानकारी से अंदर मियाद

यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे अनुसार विभाजन किये जाने में रेस्पो0 को कोई आपत्ति नही है । अतः राजीनामे अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की जावे ।

7. हमनें विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । विद्वान वकील अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है। अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था । दौराने वाद पक्षकारान द्वारा राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 27.6.2017 को वादी/अपीलांट का वाद राजीनामे के आधार पर स्वीकार कर विवादित आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्से की प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलांट का कथन है कि अधी0न्याया0 ने पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे अनुसार निर्णय व डिक्री पारित नहीं कर संपूर्ण आराजियात में प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा निर्धारित कर दिया है । इस संबध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन पत्र के अनुसार खसरा नंबर 2628 नये खसरा नंबर 1611 रकबा 4–5–00, खसरा नंबर 2631 नये खसरा नंबर 1608 रकबा 5–17–00, खसरा नंबर 2633 नये खसरा नंबर 1607 रकबा 5–7–00 में गोवर्धन, श्योचन्द, मनोहर एवं हीरालाल पुत्र लखदेव प्रत्येक का 1/4 हिस्सा रखा गया है। खसरा नंबर 1377 रकबा 14–13–00 जिसके नये खसरा नंबर 1944, 1961, 1962 बने है में से तीन पुत्रों हीरालाल के 4–10–10, मनोहर के हिस्से में 4–11–10 एवं गोवर्धन के हिस्से में 5–02–00 बीघा भूमि रखी गई है । इसी प्रकार खसरा नंबर 1468 नवीन खसरा नंबर 2190 रकबा 4–10–00 बीघा भूमि श्योचन्द्र के हिस्से में रखी गई है । जब पक्षकारों के उक्तानुसार भूमि रखे जाने बाबत् राजीनामा हो गया था तो अधी0न्याया0 को उक्त राजीनामें के अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन की डिक्री पारित करनी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रत्येक खसरा नंबर की भूमि में प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्से की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि एक तरफ तो अधी0न्याया0 राजीनामे के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित करना अंकित कर रहा है वही दूसरी तरफ वाद को मेरिट पर निर्णित कर रहे है जो परस्पर विरोधाभासी है । उपरोक्त विवेचनानुसार अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.6.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को

इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामें को पत्रावली पर लेकर राजीनामे अनुसार निर्णय पारित करे। यदि पक्षकार राजीनामे अनुसार सहमत नहीं हो तो साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर मेरिट पर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर